

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

नज़ीर हुसैन

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

एल.पी.ए. सं. 201/2021

(सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7422/2020 में)

25-08-2023

[माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा]

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 (संशोधित 2008) के नियम 6 तथा नियम 8(2) यह आवश्यक बनाते हैं कि प्रमाणपत्र किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए?

हेडनोट्स

अपीलकर्ता का यह कथन कि नियम 8 (2) उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो मौलवी की डिग्री रखते हैं, निराधार है, क्योंकि नियम 8 (2) केवल यह प्रावधान करता है कि मौलवी की अर्हता और डिग्री रखने वाले व्यक्तियों को सामान्य शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। कहीं भी यह निर्धारित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अप्र संशोधित नियम 8 (2) भी यह स्पष्ट करता है कि संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। संशोधन के बाद, नियम 8 (2) अपीलकर्ता के मामले में लागू है और प्रखंड शिक्षक की नियुक्ति के लिए नियम 6 तथा नियम 8 (2) दोनों को साथ में पढ़ा जाना आवश्यक है। अपीलकर्ता के पास मौलवी की जो डिग्री है, वह ऐसे संस्थान द्वारा जारी की गई है जिसे इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। (पैरा 13)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 16)

न्याय दृष्टान्त

उल्लेख नहीं किया गया है।

अधिनियमों की सूची

बिहार पंचायत प्रारंभ प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्त) नियम, 2006 (संशोधन 2008)

मुख्य शब्दों की सूची

ब्लॉक शिक्षक (अप्रशिक्षित); मौलवी प्रमाण पत्र; जालसाजी प्रमाण पत्र; सरकारी मान्यता; सेवा से हटाना; नियम 6 और 8(2); उर्दू शिक्षक; विजिलेंस जांच; अपीलीय क्षेत्राधिकार

प्रकरण से उत्पन्न

09.02.2021 को पारित निर्णय, सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7422/2020 में, जिसमें माननीय एकल पीठ द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका खारिज कर दी गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री अर्जुन प्रसाद, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्री शशी शेखर तिवारी, ए.सी. टू ए.ए.जी.-15

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं.201

में

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.7422

=====

नजीर हुसैन, पिता- मोहम्मद अब्बास, निवासी- गाँव और डाकघर- साकरीसराय, थाना-
कुढ़नी, ओ.पी- तुर्की, जिला- मुजफ्फरपुर।

... .. अपीलकर्ता/ओ

बनाम

1. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. बिहार सरकार के निदेशक प्राथमिक शिक्षा, पटना।
3. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रक, पटना के माध्यम से।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रतिष्ठान, जिला वैशाली।
5. सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजित इकाई के सामान्य सह प्रखंड विकास अधिकारी, गोरौल,
जिला वैशाली।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अर्जुन प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शशि शेखर तिवारी, ए. ए. जी-15 के ए. सी.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

दिनांक : 25-08-2023

अपीलार्थी और उत्तरदाताओं के विद्वान वकीलों को सुना गया है।

2. वर्तमान एल. पी. ए. को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2020 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7422 में पारित दिनांक 09.02.2021 के फैसले के खिलाफ निर्देशित किया गया है जिसके तहत अपीलार्थी द्वारा दायर दीवानी रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

3. रिट याचिका में अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत मांगी है:

"i) उत्तरदाता सं. 5 के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन सं. 2359 दिनांक 29.11.2019 में निहित आदेश को निरस्त करने के लिए, जिसके तहत और जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उत्तरदाता सं. 4 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

ii) उत्तरदाताओं को यह आदेश देने के लिए भी कि वे याचिकाकर्ता को मध्य विद्यालय इस्लामपुर, प्रखंड गोरौल, जिला- वैशाली के पंचायत शिक्षक के पद पर बहाल करें और याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी की तिथि से सभी परिणामी लाभ प्रदान करें।

iii) और किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर हकदार पाया जाता

है।”

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रखंड शिक्षक की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। अपीलकर्ता ने अपेक्षित योग्यता रखते हुए आवेदन किया और प्रक्रिया का पालन करते हुए उसका चयन किया गया। इसके बाद, उसे कार्यपालक अधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोरौल के हस्ताक्षर से जारी पत्र सं. 744 दिनांक 28.12.2010 के आदेश द्वारा प्रखंड शिक्षक (अप्रशिक्षित), उर्दू के पद पर नियुक्त किया गया और उसे मध्य विद्यालय, इस्लामपुर में पदस्थापित और कार्यभार ग्रहण कराया गया।

5. अपीलकर्ता ने वर्ष 2005 में जामिया रहमानिया हमदिया पोखरैरा (शरीफ), सीतामढ़ी नामक संस्थान से मौलवी का योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया और प्रखंड नियोजित शिक्षक के पद पर चयन के समय, उसने चयन समिति के समक्ष मौलवी का उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। चयन समिति ने, उचित जांच के बाद, अपीलकर्ता के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किया और उसके बाद, अपीलकर्ता ने सभी संबंधितों की संतुष्टि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू कर दिया।

6. अपीलकर्ता को उत्तरदाता सं. 5 द्वारा जारी दिनांक 03.09.2019 को एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया था कि सतर्कता जाँच के दौरान अपीलकर्ता का मौलवी प्रमाण पत्र जाली पाया गया है और गोरौल थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड सं. 264/2019 दर्ज किया गया है और अपीलकर्ता को उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अपीलकर्ता ने 14.09.2019 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि जिला शिक्षा अधिकारी, सीतामढ़ी ने पत्र सं. 981 दिनांक 20.05.2011 के माध्यम से संबंधित संस्थान का भौतिक सत्यापन करने के बाद एक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत की और पाया गया कि संबंधित संस्थान अस्तित्व में था और यह मदरसा की सूची में था और सफलतापूर्वक चल रहा था। हालाँकि, उत्तरदाता सं. 5

के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 29.11.2019 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। उक्त आदेश दिनांक 29.11.2019 के विरुद्ध अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 2020 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7422 प्रस्तुत किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, दिनांक 09.02.2021 के निर्णय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसे वर्तमान एल.पी.ए. में चुनौती दी गई है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ता की नियुक्ति प्रखंड शिक्षक (अप्रशिक्षित), उर्दू के पद पर बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006, यथा संशोधित 2008 (इसके बाद 'नियम') के नियम 6 के अनुसार की गई थी। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आधार यह है कि सतर्कता जाँच के दौरान उसका मौलवी प्रमाण पत्र जाली पाया गया है, जो कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है क्योंकि नियुक्ति के समय, संबंधित संस्थान सफलतापूर्वक चल रहा था और उसे मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त थी। विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि अपीलकर्ता की नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी और वह 2008 के नियमों के अधीन होगा, जिनमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी। 2008 के नियमों के नियम 6 के अनुसार, एकमात्र शर्त यह थी कि मौलवी डिग्री धारक को उर्दू में नियुक्त किया जाएगा और नियम 8(क)(2) के अनुसार, मौलवी डिग्री धारक सामान्य शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि उत्तरदाता-राज्य ने (वर्ष 2012 तक) कभी भी यह शर्त नहीं लगाई थी कि केवल वही उम्मीदवार उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी की डिग्री प्राप्त की हो।

8. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने दलील दी कि विचाराधीन संस्थान, यानी जामिया रहमानिया हमदिया पोखरैरा (शरीफ) के पास मौलवी के लिए अंक पत्र/प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं था। उक्त संस्थान मौलवी/आलिम के लिए प्रमाण

पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं था और केवल वस्तानिया/फोकानिया के लिए कक्षा आठवीं और दसवीं के समकक्ष प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त संस्थान था। किसी ऐसे संस्थान द्वारा मौलवी के लिए जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, जो इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त और अधिकृत नहीं था, उसकी क्षमता से बाहर होगा और इस प्रकार एक जाली प्रमाण पत्र होगा। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने ऐसे जाली प्रमाण पत्र पर अपनी नियुक्ति प्राप्त की है, अपीलकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा, नियमों के नियम 8 के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि डिग्री सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड से प्राप्त की जानी चाहिए। इस प्रकार, विद्वान वकील ने यह दलील दी कि विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अभिलेख पर मौजूद सभी सामग्रियों पर विधिवत विचार करने के बाद पारित किया गया है।

9. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर आगे विचार करने के बाद, मुख्य प्रश्न, जो विचार के लिए उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अपीलार्थी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से मौलवी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी?

10. अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को जामिया रहमानिया हमदिया, पोखरैरा, राजपुर, सीतामढ़ी द्वारा जारी मौलवी प्रमाण पत्र के आधार पर वैशाली के गोरौल प्रखंड के मध्य विद्यालय, इस्लामपुर में प्रखंड शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी अपना मौलवी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और उसका मौलवी प्रमाण पत्र उपरोक्त जामिया रहमानिया हमदिया, पोखरैरा द्वारा जारी किया गया था, जो एक निजी मदरसा है जिसे निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके पास

प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और अपीलकर्ता ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर धोखे से शिक्षक के रूप में रोजगार के लिए आवेदन किया। तदनुसार, गोरौल थाना कांड सं. 264/2019 के तहत अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली ने दिनांक 19.08.2019 के पत्र द्वारा सदस्य सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति को अपीलकर्ता के विरुद्ध विधि अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद, उक्त समिति की एक बैठक 29.08.2019 को आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव अपीलकर्ता से कारण बताओ नोटिस मांगेंगे और तदनुसार, 03.09.2019 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने 16.09.2019 को कारण बताओ नोटिस का अपना विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया। पूरा मामला 26.10.2019 को समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया गया और उक्त बैठक में, अपीलकर्ता के उत्तर पर विधिवत विचार किया गया और अपीलकर्ता की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, सदस्य सचिव ने 29.11.2019 को एक पत्र जारी कर अपीलकर्ता को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया।

11. स्पष्टतः, अपीलकर्ता की नियुक्ति वर्ष 2010 में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 के अंतर्गत की गई थी, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था। अपीलकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 6 और नियम 8 (2) का हवाला देते हुए दावा किया है कि उपरोक्त नियमावली में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि अपीलकर्ता के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से मौलवी में डिग्री की योग्यता होना आवश्यक हो। अब, 'नियमावली' (असंशोधित) के नियम 6 और 8 के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

"6. उर्दू शिक्षकों का नियोजन:-

विद्यालय के मात्र उर्दू इकाईयों पर उर्दू योग्यता रखने वाले तथा मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा ।

8. नियुक्ति हेतु :-

(क) अर्हता :

प्रखण्ड शिक्षक के लिये :-

1. XXX XXX

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान

से उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों।

3. XXX XXX

पंचायत शिक्षक के लिये :-

1. XXX XXX

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक / इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. XXX XXX

12. 2008 में संशोधन के बाद, नियम के प्रासंगिक भागों को निम्नानुसार पढ़ा

गया:-

"6. उर्दू शिक्षकों का नियोजन:-

विद्यालय के मात्र उर्दू इकाईयों पर उर्दू योग्यता रखने वाले तथा मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा ।

8. नियुक्ति हेतु :-

(क) अर्हता :

प्रखण्ड शिक्षक के लिये :-

1. XXX XXX

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय /महाविद्यालय / बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक / इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो किन्तु इसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पॉलिटेक्निक, यूनानी शिक्षा आदि) शारीरिक शिक्षा, प्राच्यभाषा भाषा विशेष से सम्बन्धित डिग्री (मौलवी, उप शास्त्री) तथा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त समरूप डिग्री (विभाग द्वारा निर्णीत) सामान्य शिक्षक पद पर नियोजन हेतु सम्मिलित नहीं है।

3. XXX XXX

पंचायत शिक्षक के लिये :-

1. XXX XXX

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान

से उच्चतर माध्यमिक / इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।"

13. निस्संदेह, 'नियमों' के नियम 6 में उर्दू शिक्षक की नियुक्ति मौलवी के रूप में उसकी योग्यता के आधार पर करने का प्रावधान है। दूसरी ओर, 'नियमों' के असंशोधित नियम 8 (2) में प्रावधान है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिनके पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक, इंटरमीडिएट या समकक्ष की डिग्री हो। इसके अलावा, 2008 में संशोधन के बाद, एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि कुछ योग्यता/डिग्री धारक सामान्य शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसलिए, अपीलकर्ता का यह तर्क कि नियम 8 (2) मौलवी की डिग्री रखने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होता, गलत है क्योंकि नियम 8

(2) में केवल यही प्रावधान है कि मौलवी की योग्यता और डिग्री रखने वाले व्यक्ति को सामान्य शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा कहीं भी निर्धारित नहीं है कि व्यक्ति के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डिग्री होना आवश्यक नहीं है। असंशोधित होने पर भी नियम 8 (2) यह तथ्य स्पष्ट करता है कि संस्थान को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। संशोधन के बाद, अपीलकर्ता के मामले में 'नियम' का नियम 8 (2) लागू होता है और प्रखंड शिक्षक की नियुक्ति के लिए, 'नियम' के नियम 6 और नियम 8 (2) दोनों को एक साथ पढ़ा जाना है। यह तथ्य पंचायत शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में 'नियम' के नियम 8 (2) को आगे पढ़ने से और भी स्पष्ट होता है, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से डिग्री होनी चाहिए। यदि यह योग्यता पंचायत शिक्षक के लिए है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रखंड शिक्षक की पात्रता पर भी लागू होगी। इसलिए, हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई दम है कि प्रखंड शिक्षक की नियुक्ति के लिए केवल नियम 6 को ही पढ़ा जाना चाहिए और यह मायने नहीं रखता कि योग्यता डिग्री कहाँ से प्राप्त की गई है। इसके अलावा, यह तथ्य भी स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता के पास मौलवी की डिग्री एक ऐसी संस्था द्वारा जारी की गई है जिसे ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है।

14. ऊपर की गई चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने वर्ष 2005 में सीतामढ़ी जिले के जामिया रहमानिया हमदिया पोखरैरा (शरीफ) नामक एक संस्थान से मौलवी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसे सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मान्यता प्राप्त/अधिकृत नहीं किया गया था। अपीलकर्ता की नियुक्ति एक गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर गलत थी और इसलिए यह न्यायालय उत्तरदाताओं द्वारा अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के दिनांक 29.11.2019 के आदेश में कोई

अवैधता नहीं पाता है।

15. उपरोक्त चर्चा के आलोक में और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते समय कोई त्रुटि की है, जो इस न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग करती है। हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हैं।

16. तदनुसार, वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के. पांडेय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।